न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी—अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 22/2020

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
करनाराम पुत्र हुकमाराम विश्नोई निवासी गडरा, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाडमेर		1. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाडमेर 2. किशनाराम पुत्र पांचाराम 3. भीखाराम पुत्र जोधाराम 4. सुखराम पुत्र जोधाराम 5. किशनाराम पुत्र जोधाराम 6. ठाकरा पुत्र हुकमा जाति विश्नोई, निवासी गडरा, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाडमेर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अपर जिला कलेक्टर बाडमेर दिनांक 16.12.2019 राजस्व प्रथम अपील संख्या 42/2017 अनवान करनाराम बनाम तहसीलदार गुडामालानी वगैरा

उपस्थित—
1. श्री एम0एल0 खत्री, वकील अपीलाण्ट
2. श्री रोशनलाल वकील रेस्पो0 2 से 6
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 1

निर्णय

दिनांक 20.08.2024

यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलांट ने अपर जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा राजस्व अपील संख्या 42/2017 करनाराम बनाम तहसीलदार गुडामालानी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 16.12.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील गुड़ामालानी स्थित ग्राम गडरा के खसरा नं0 81, 81/2, 327, 337, 297, 325 व 326 की कुल रकबा भूमि 174. 13 बीघा भूमि पांचा, जोधा, ठाकरा, करना पि0 हुकमा कौम विश्नोई साकिन देह खातेदारान के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज थी। जिसका आपसी सहमति से विभाजन पर तहसीलदार गुडामालानी के आदेश कमांकः 465 दिनांक 08.01.2002 की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पालना में नामान्तरकरण संख्या 175 दिनांक 08.01.2002 को स्वीकृत किया गया। उक्त स्वीकृत ना0क0 के विरूद्ध अपीलांट–करनाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व प्रथम अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि आलौच्य विभाजन अपीलांट द्वारा अभिकथित कब्जेकाश्त अनुसार नही हुआ है अर्थात अपीलांट के कब्जेकाश्त की भूमि रेस्पो0 की खातेदारी में दर्ज कर नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम कर दी गई है। जिससे राजस्व नक्शें एवं मौके में भिन्नता आ गई है, जिसे दुरूस्त करवाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन विभाजन एवं उसके आधार पर पारित ना0क0सं0 175 में किसी प्रकार की विधिक एवं वाक्याती भूल नही पायी जाने के उल्लेख से अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त अपील खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में प्रत्यर्थीगण ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि अपीलांट करनाराम का कब्जा खसरा नं0 81 पर है, जबकि विभाजन जोधाराम के नाम दर्ज किया गया एवं अपीलांट का विभाजन 81/3 में कर दिया, जिस पर कब्जा प्रत्यर्थीगण का है। ना0क0सं0 175 में जो आदेश पारित किया गया है एवं उसके पीछे जो नक्शा दर्शाया गया है, उस नक्शें में अपीलांट व प्रत्यर्थीगण के कब्जे अनुसार अंकन नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर गौर किए बिना तथा बिना रेकर्ड के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश व अपीलाधीन जैर ना0क0 निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 2 से 6 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि वादग्रस्त खसरान का विभाजन सहमति से करवाया गया था और इसके आधार पर ना0क0सं0 175 पारित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अंकन किया गया। भूलवश नक्शें में सहमति बंटवाडा के विपरित जाकर खसरा नं0 व बट्टा नं0 का अंकन कब्जे से भिन्न स्थान पर कर दिया गया है। वास्तविकता में खसरा नं0 81 पर अपीलांट का कब्जाकाश्त है एवं खसरा नं0 81/3 पर रेस्पो0 का कब्जाकाश्त है। इस संबंध में वास्तविक कब्जा एवं राजस्व अभिलेख हेतु दो बार मौका रिपोर्ट मंगवाई गई और दोनों ही

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

मौका रिपोर्ट एवं नक्शे के अनुसार खसरा नं0 81 की भूमि की जगह 81/3 एवं खसरा नं0 81/3 की जगह खसरा नं0 81 में दुरूस्त करवाने हेतु पक्षकारान सहमत होने की टिप्पणी प्राप्त हुई। अतः मौका रिपोर्ट के आधार पर उक्त दुरूस्ती फरमाने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार यह पाया गया कि आलौच्य प्रकरण में स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विवेचन में यह उल्लेख किया है कि "जहां तक अपीलाधीन विभाजन एवं नामान्तरकरण सं0 175 के आधार पर राजस्व नक्शा में यदि मौके पर कब्जे—काश्त से भिन्नता है तो इसके लिए पक्षकारान की सहमति होने पर उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना के समक्ष दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाराजोही हेतु स्वतंत्र है।" अतः इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व अपील सं0 42/2017 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2019 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण राजस्व रेकर्ड एवं तहसीलदार गुडामालानी की रिपोर्ट प्राप्त कर, प्रकट तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 20 अगस्त, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

20.08.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर